फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

कैलाश बनाम चन्दालाल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या : 16 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/05/24	तथा जवाब प्रा.पत्र टी.आई. अप्रतिवादी 01 ता 04 दिनांक 17/05/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	17/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गण अभियोजन उपस्थित। अपीलीय सं. 05 ता. 11 व प्रतिवादी पक्ष उपस्थित। प्राप्त सूचना नोटिस दिनांक 02/05/24 के उपस्थित नहीं हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तामिल सीधी है। अपीलीय सं. 5 ता. 11 व प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलीय सं. 5 ता. 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते हैं। अपीलीय सं. 01 ता 04 की ओर से जवाब प्रा.पत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया। शामिल मिसल। वक्त प्रा.पत्र टी.आई. पर सुनवाई। अभियोजन के प्रस्तुत तथ्यों व उपस्थित व जवाब के प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर वाद वादी प्रमाणित किया गया है। अतः वाद मंजूर व न्यायहित के हितार्थ प्रा.पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अभियोजन कारण को लंबित रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

चन्द्रनाथ
रामलाल शर्मा
चन्दालाल शर्मा

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम चन्दालाल व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

16/2024

क्र. आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/24	आमेर जिला जयपुर स्थित वाद भूमि आ.ख.नं. 401, 402, 409, 414, 417, 418, 421, 422, 423/1761, 526/1746, 531, 533 लगायत 539, 587/1747 कुल रकबा किता 19 कुल रकबा 4.33 है. तथा भूमि आ.ख.नं. 415, 416 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.72 है., आराजी भूमि ख.नं. 412, 419 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.4200 है. की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा भूमि का विक्रय, हस्तांतरण आदि ना करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:10:25 IST
Reason: SelfAttested